## 7. लीगल एड क्लीनिक्स की स्थापना कहाँ की गई है ?

1. समस्त उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति मुख्यालयों (जबलपुर, इन्दौर ग्वालियर) में,
2. समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय (प्रदेश के समस्त जिला न्यायालय परिवारों के जिला प्राधिकरण कार्यालय में लीगल एड क्लीनिक्स स्थापित व कार्यरत् हैं।)
3. समस्त तहसील विधिक सेवा समिति मुख्यालयों में ।

## अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें –

1. उच्च न्यायालय स्तर पर – मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उप समिति जबलपुर, ग्वालियर एवं इन्दौर के सचिव अथवा वहाँ के जिला विधिक सहायता अधिकारी से,
2. जिला स्तर पर – जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी से,
3. तहसील स्तर पर – दीवानी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति से,
4. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से।

*Justice for All*

**मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण**
574, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर द्वारा विज्ञापित

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

# कानूनी साक्षरता हटाये दुर्बलता

राष्ट्रीय कानूनी साक्षरता मिशन
NATIONAL LEGAL LITERACY MISSION

**मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण**
574, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर ( म.प्र. )
दूरभाष: ( 0761 ) 2678352, 2624131, फैक्स: 2678537
वेबसाइट: www.mpslsa.nic.in ईमेल: mplsajab@nic.in
Tollfree No. : 15100

# लीगल एड क्लीनिक योजना विनियम 2011

## 1. लीगल एड क्लीनिक्स :–

सक्षम एवं निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने हेतु नालसा के निर्देशानुसार म. प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लीगल एड क्लीनिक्स रेगूलेशन, 2011 अंतर्गत इन क्लीनिक्स की स्थापना समस्त जिला मुख्यालयों पर की गई है ।

## 2. लीगल एड क्लीनिक का अर्थ :–

लीगल एड क्लीनिक का अर्थ है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थानीय ग्रामीण जनो को निःशुल्क एवं मूलभूत विधिक सेवा उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की तर्ज पर स्थापित प्राथमिक विधिक सेवा केन्द्र । ये केन्द्र स्थानीय व्यक्तियों के विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये कार्य करतें हैं । इनमें विधि विद्यालय एवं विधि माहाविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले लीगल एड क्लीनिक्स शामिल है ।

## 3. लीगल एड क्लीनिक्स में नियुक्त व्यक्ति :–

अनुभवी पैनललॉयर्स (अधिवक्ताओं) एवं प्रशिक्षित पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा निःशुल्क विधिक सेवा (विधिक सलाह एवं विधिक सहायता) प्रदान की जाती है । इन विधिक सहायता क्लीनिक्स में पीड़ित व्यक्ति कानूनी जानकारी एवं निःशुल्क सलाह प्राप्त करने के साथ ही अपनी समस्याओं के निदान हेतु निःशुल्क विधिक सलाह व सहायता भी प्राप्त कर सकता है ।

## 4. लीगल एड क्लीनिक में सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति :–

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा–12 के अनुसार सभी पात्र व्यक्ति निम्नानुसार है :–

1. वह व्यक्ति जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो, या
2. ऐसा व्यक्ति जो लोगों के दुर्व्यवहार से पीड़ित हो या जिससे बेगार कराया जा रहा हो, या
3. कोई महिला या बालक हो, या
4. कोई निर्योग्य व्यक्ति हो, या

   निर्योग्यता का तात्पर्य है :– (क)अन्धापन, (ख)कमजोर दिखाई देना, (ग)कुष्टरोग, (घ)कम सुनाई देना, (ड.)चलने फिरने में असमर्थता, (च)मानसिक अस्वस्थता या दुर्बलता ।

5. जो बहुविनाश, जातीय हिंसा या जातीय अत्याचार से सताया गया है, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प, बाढ़, सूखा आदि से पीड़ित व्यक्ति हो,
6. ऐसा व्यक्ति जो औद्योगिक कर्मकार हो (फैक्टरी, कम्पनी में काम करता है)
7. ऐसा व्यक्ति जो जेल में बंदी हो ,
8. ऐसा व्यक्ति जिसकी वर्षभर की आमदनी 1,00,000/–(रूपये एक लाख) से ज्यादा न हो ।

## 5. लीगल एड क्लीनिक्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता :–

लीगल एड क्लीनिक प्राथमिक विधिक चिकित्सालय (क्लीनिक) की अवधारणा पर स्थापित केन्द्र है जिसमें विधि क्षेत्र के विशेषज्ञों पैनल लॉयर्स व प्रशिक्षित पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा समाज के कमजोर वर्गो के लोगों को जो आर्थिक या किसी अन्य असमर्थता से उचित विधिक सलाह प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं । उन्हें (निःशुल्क विधिक सलाह व विधिक सहायता) प्रदान की जाती है । समस्त लीगल एड क्लीनिक समस्त कार्य दिवसों में कार्यालय समय में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक ग्रामों, जिला मुख्यालय, जेल मुख्यालय, जेल, कॉलेज, अस्पताल, पुलिस स्टेशनों आदि जैसे स्थानों पर कार्यरत है ।

## 6. लीगल एड क्लीनिक के कार्य :–

लीगल एड क्लीनिक आमजन की समस्याओं के निपटारे के लिये एकल खिड़की की तर्ज पर कार्य करेंगे । जिसमें निम्न कार्य किये जायेंगे –

1. आवश्यक कानूनी सलाह देना
2. याचिका नोटिस एवं अन्य फार्म भरने में सहायता देना (शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाये जाने हेतु)
3. शासकीय विभागों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु आमजन को आवश्यक सहायता प्रदान करना
4. विभिन्न शासकीय योजनाओं हेतु परिचय पत्र बनवाने में आवश्यक सहयोग करना
5. पीड़ित एवं अक्षम व्यक्तियों को लीगल एड क्लीनिक्स में पहुॅचने में सहायता करना
6. विधिक सहायता एवं सलाह योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना